न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	दायर दिनांक	तारीख फैसला
387/2024	26.11.2024	12.05.2025

1. बनवारी लाल रैगर पुत्र श्री रामकिशोर रैगर जाति रैगर निवासी बी–212, महेश नगर, 50 फीट रोड, जयपुर 203015

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आंधी, तहसील कार्यालय आंधी, जिला जयपुर।

अप्रार्थी

2. कमला देवी पत्नी रामकिशोर
3. घनश्याम पुत्र रामकिशोर
4. दीपचन्द पुत्र रामकिशोर
5. बादाम पुत्री रामकिशोर
6. पिस्ता पुत्री रामकिशोर

समस्त जाति रैगर निवासी फूटोलाव तहसील आंधी जिला जयपुर।

तरतीबी प्रार्थीगण

<u>उपस्थित अभिभाषक</u>

श्री रामस्वरूप शर्मा : – वकील प्रार्थी।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम</u>

–:निर्णय :–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 रा0 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम फूटोलाव तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर के जमाबन्दी संवत 2036 से 2040 में भूमि खसरा नम्बर 55 रकबा 8 बीघा प्रार्थी के पिता रामकिशोर, छोटू पुत्रान प्रभात हिस्सा 1/4 राजस्व रिकार्ड में दर्ज व अंकित थी। उक्त भूमि जरिये नामा0 सं0 101 दिनांक 24.09.1977 को प्रार्थी के दादा प्रभात की मृत्यु पर प्रार्थी के पिता व ताउ छोटू व रामकिशोर के नाम दर्ज व अंकित की गई। तदानुसार राजस्व जमाबन्दी में भी उक्त नामा0 अनुसार जमाबन्दी में विरासत का नामा0 दर्ज किया गया है। गत खसरा नम्बर 55 के हाल खसरा नम्बर 113 रकबा 2.0200है0 राजस्व रिकार्ड में वर्तमान जमाबन्दी अनुसार वाकै ग्राम फूटोलाव के वर्तमान जमाबन्दी 2074 से 2077 में खाता सं0 92 में दर्ज व अंति है। प्रार्थी के पिता रामकिशोर पुत्र प्रभात की मृत्यु दिनांक 15.01.2009 को हो गई, जिस पर प्रार्थी व प्रफोरमा पक्षकार द्वारा उपरोक्त भूमि में अपनी विरासत का नामा0 दर्ज करने की कार्यवाही की तो उन्हे ज्ञात हुआ कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा नामा0 सं0 101 के विरुद्ध जाकर हाल जमाबन्दी मे लिपिकीय त्रुटि से उनका नाम रामकिशोर पुत्र प्रभात के स्थान पर किशोर पुत्र प्रभात कर दिया। जबकि गत जमाबन्दी में उनका नाम रामकिशोर पुत्र प्रभात दज व अंकित था। प्रार्थी के सभी दस्तावेजो में प्रार्थी के पिता का नाम रामकिशोर दर्ज व अंकित है तथा प्रार्थी के परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में भी प्रार्थी के पिता का नाम रामकिशोर दर्ज है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर राजस्व ग्राम फूटोलाव तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित हाल खसरा नम्बर 113 रकबा 2.0200है0 में प्रार्थी के पिता का नाम किशोर पुत्र प्रभात के स्थान पर रामकिशोर पुत्र प्रभात दर्ज किया जाकर इसी अनुसार राजस्व अभिलेखों में दुरूस्ती करने का आदेश पारित फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण सं0 2 लगायत 6 अनुपस्थित। अप्रार्थीगणों को बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी सं0 2 लगायत 6 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 1 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/आर0टी0/25/155 दिनांक 20.03.5 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार (पैरोकार सरकार) अपनी रिपोर्ट/जवाब में निवेदन किया कि वर्तमान जमाबन्दी संवत 2074-77 से खाता सं0 92 खसरा नम्बर 113 में किशोर पुत्र प्रभात हि0 1/3 जाति रैगर दर्ज रिकार्ड है। ग्राम फूटोलाव के गत खसरा नम्बर 55 व हाल खसरा नम्बर 113 रकबा 2.02है0 में किशोर पुत्र प्रभात जाति रैगर के स्थान पर रामकिशोर पुत्र प्रभात किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। बहस सुनने व पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिये जाते है कि ग्राम फूटोलाव, पटवार हल्का फूटोलाव, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 55 के वर्तमान खसरा नम्बर 113 रकबा 2.02है0 में किशोर पुत्र प्रभात जाति रैगर के स्थान पर किशोर उर्फ रामकिशोर पुत्र प्रभात जाति रैगर अंकित किया जावें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 12.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़